उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग,

निकट– महाराणा प्रताप स्पोटर्स कॉलेज, थानों रोड़, रायपुर देहरादून।

(वेबसाइट–www.sssc.uk.gov.in ई–मेल–chayanayog@gmail.com)

पत्रांकः– 426/गोपन(परीक्षा)/2025–26 दिनांकः 10 नवम्बर, 2025

विज्ञप्ति

आयोग के विज्ञापन संख्या 71/उ0अ0से0च0आ0/2025 दिनांक 11 अप्रैल, 2025 में **सहकारी समितियाँ उत्तराखण्ड** के अंतर्गत विज्ञापित **सहकारी निरीक्षक वर्ग–2/सहायक विकास अधिकारी(सह0)** के रिक्त पदों की लिखित प्रतियोगी परीक्षा राज्य के 02 जनपदों {देहरादून, नैनीताल(हल्द्वानी)} में दिनांकः– **16 नवम्बर, 2025** को प्रातः 11:00 बजे से अपराह्न 01:00 बजे तक आयोजित की जा रही है।

आयोग की विज्ञप्ति संख्या–3310 दिनांकः– 13 अक्टूबर, 2025 के तहत सहकारी निरीक्षक वर्ग–2/सहायक विकास अधिकारी के पदों की लिखित परीक्षा दिनांकः 16 नवम्बर, 2025 को निर्धारित की गयी थी।

उक्त लिखित परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों के प्रवेश–पत्र 10 नवम्बर, 2025 से आयोग की बेवसाइट पर प्रकाशित किये जा रहे हैं। सभी अभ्यर्थी अपना प्रवेश–पत्र आयोग की बेवसाइट www.sssc.uk.gov.in से डाउनलोड कर सकेगें। अभ्यर्थियों को किसी अन्य माध्यम (जैसे–डाक इत्यादि) से प्रवेश–पत्र प्रेषित नहीं किये जायेंगे।

समस्त अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि उनके द्वारा डाउनलोड किये गये प्रवेश–पत्र पर परीक्षा तिथि 16 नवम्बर, 2025 अंकित हो साथ ही बार–कोड भी अंकित हो। पूर्व में जारी दिनांक 05.10.2025 की तिथि के प्रवेश–पत्र मान्य नहीं होंगे। परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए अभ्यर्थियों को अपने साथ **प्रवेश–पत्र, फोटो युक्त पहचान पत्र** एवं **काला बाल पेन** लाना अनिवार्य है।

2. उक्त परीक्षा में सम्मिलित होने वाले ऐसे दिव्यांग अभ्यर्थी जिनके द्वारा विज्ञापित पदों में उल्लिखित दिव्यांगता श्रेणी के सापेक्ष ऑनलाइन आवेदन–पत्र में दिव्यांग श्रेणी का दावा किया गया हैं, यदि वह उक्त परीक्षा में श्रुतलेखक (Scribe) लेने के इच्छुक हों, तो उन्हें विज्ञप्ति के साथ संलग्न दिशा–निर्देशों के अनुरूप अभ्यर्थी को श्रुतलेखक की सुविधा प्रदान की जायेगी।

3. सभी अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि परीक्षा दिवस को परीक्षा केन्द्रों पर प्रातः 8:30 बजे से 10:30 बजे तक उपस्थित अभ्यर्थियों की बायोमैट्रिक ली जायेगी। अतः सभी अभ्यर्थी अपने–अपने परीक्षा केन्द्र पर 02 घण्टे पूर्व (प्रातः 8:30 बजे) पहुंचना सुनिश्चित करें।

4. सभी अभ्यर्थियों को यह भी अवगत कराना है कि परीक्षा केन्द्रों पर अभ्यर्थियों द्वारा साथ में लाये गये सामान को रखने हेतु क्लॉक रूम (अमानती कक्ष) की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। अतः अभ्यर्थी अपने साथ लाए गए सामान को परीक्षा केन्द्र के बाहर स्वयं ही रखने की व्यवस्था करें।

10.11.25

(डॉ0 शिव कुमार बरनवाल)
सचिव।

आयोग द्वारा लिखित परीक्षाओं में दिव्यांग अभ्यर्थियों हेतु श्रुतलेखक/लेखन सहायक व अन्य सुविधा प्रदान किये गये के संबंध में दिशा–निर्देश

शासनादेश संख्याः 374(1)XXX(2)/2019–30(5)/2014, दिनांक 20 नवम्बर, 2019 के अनुपालन में 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता धारित दिव्यांग अभ्यर्थियों को श्रुतलेखक/लेखन सहायक एवं अन्य सुविधा प्रदान किये जाने के संबंध में मार्गदर्शिका सिद्धान्तः–

1. श्रुतलेखक/लेखन सहायक एवं अन्य सुविधा प्रदान किये जाने हेतु दिव्यांग अभ्यर्थी द्वारा उक्त का दावा अपने ऑनलाईन आवेदन पत्र में किया जायेगा।
2. आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली लिखित प्रतियोगी परीक्षाओं में विकलांगता धारित अभ्यर्थी जो Blindness (अंधता), Locomoter disability (Both arm affected-BA) चलन क्रिया (दोनों हाथ प्रभावित) तथा cerebral palsy (मस्तिष्क घात) से ग्रस्त है, श्रुतलेखक/लेखन सहायक की सुविधा प्रदान की जायेगी। ऐसे दिव्यांग अभ्यर्थियों को परीक्षा तिथि से 03 दिन पूर्व तक अपने दिव्यांगता प्रमाण पत्र के साथ आयोग कार्यालय में प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया जायेगा।
3. इसके अतिरिक्त वे समस्त अभ्यर्थी, जो राज्य के किसी भी क्षेत्र में अवस्थित सक्षम स्वास्थ्य प्राधिकारी (मुख्य चिकित्साधिकारी/शल्य चिकित्सक/चिकित्सा अधीक्षक) द्वारा निर्गत **परिशिष्ट–1** प्रारूप में प्रमाण पत्र धारित करते हैं, को **श्रुतलेखक/लेखन सहायक** की सुविधा प्रदान की जाएगी। ऐसे अभ्यर्थी परीक्षा की तिथि से 03 दिन पूर्व तक अपने दिव्यांगता प्रमाण पत्र के साथ **परिशिष्ट–1** की प्रति आयोग कार्यालय में उपलब्ध करायेंगे।
4. जो दिव्यांग अभ्यर्थी दिव्यांगता श्रेणी Blindness (अंधता), Locomoter disability (Both arm affected-BA) चलन क्रिया (दोनों हाथ प्रभावित) तथा cerebral palsy (मस्तिष्क घात) से ग्रस्त है। उनको परीक्षा से 03 दिन पूर्व तक आयोग को यह अवगत कराना होगा कि **श्रुतलेखक/लेखन सहायक** की सुविधा आयोग द्वारा उपलब्ध करायी जानी है अथवा अभ्यर्थी द्वारा स्वतः **श्रुतलेखक/लेखन सहायक** की व्यवस्था की जाएगी। यदि अभ्यर्थी द्वारा स्वयं **श्रुतलेखक/लेखन सहायक** को लाने का दावा किया जाता है तो परीक्षा की तिथि से 03 दिन पूर्व तक अभ्यर्थी श्रुतलेखक से संबंधित **परिशिष्ट–2** की प्रति एवं श्रुतलेखक की **दो पासपोर्ट साईज की फोटो, 01 पहचान पत्र(फोटोयुक्त), श्रुतलेखक/लेखन सहायक का शैक्षिक प्रमाण पत्र आयोग कार्यालय में** उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। उक्त दिव्यांग श्रेणी के अतिरिक्त अन्य दिव्यांग अभ्यर्थियों को यदि अभ्यर्थी द्वारा स्वयं **श्रुतलेखक/लेखन सहायक** को लाने का दावा किया जाता है तो परीक्षा की तिथि से 03 दिन पूर्व तक अभ्यर्थी **परिशिष्ट–1** की प्रति एवं श्रुतलेखक से संबंधित **परिशिष्ट–2** की प्रति एवं श्रुतलेखक की **दो पासपोर्ट साईज की फोटो, 01 पहचान पत्र(फोटोयुक्त), श्रुतलेखक/लेखन सहायक का शैक्षिक प्रमाण पत्र आयोग कार्यालय में** उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
5. यदि अभ्यर्थी द्वारा श्रुतलेखक की सुविधा हेतु आयोग से अनुरोध किया जाता है तो दिव्यांगता श्रेणी धारित Blindness (अंधता), Locomoter disability (Both arm affected-BA) चलन क्रिया (दोनों हाथ प्रभावित) तथा cerebral palsy (मस्तिष्क घात) परीक्षा की तिथि से 03 दिन

पूर्व तक अभ्यर्थी को अपने दिव्यांगता प्रमाण पत्र के साथ प्रत्यावेदन आयोग कार्यालय में प्रस्तुत किया जायेगा, उक्त दिव्यांग श्रेणी के अतिरिक्त अन्य दिव्यांग अभ्यर्थियों द्वारा यदि अभ्यर्थी द्वारा श्रुतलेखक की सुविधा हेतु आयोग से अनुरोध किया जाता है तो परीक्षा की तिथि से 03 दिन पूर्व तक अभ्यर्थी को अपने दिव्यांगता प्रमाण पत्र एवं परिशिष्ट–01 की प्रति आयोग कार्यालय में प्रस्तुत की जायेगी। **श्रुतलेखक/लेखन सहायक** की समीक्षा/सत्यापन हेतु अभ्यर्थी को आयोग कार्यालय द्वारा परीक्षा की तिथि से 02 दिन पूर्व तक सम्बन्धित परीक्षा केन्द्र/आयोग कार्यालय से उपलब्ध कराए गए श्रुतलेखक/लेखन सहायक की यथा स्थिति जैसी भी हो, अवगत कराया जाएगा।

6. दिव्यांगता श्रेणी Blindness (अंधता), Locomoter disability (Both arm affected-BA) चलन क्रिया (दोनों हाथ प्रभावित) तथा cerebral palsy (मस्तिष्क घात) से ग्रस्त है। उनको अतिरिक्त समय की सुविधा परीक्षा तिथि से 03 दिन पूर्व तक अपने दिव्यांगता प्रमाण पत्र के साथ आयोग कार्यालय मे प्रत्यावेदन करने पर प्रदान की जायेगी। उक्त के अतिरिक्त अन्य दिव्यांगता श्रेणी धारित अभ्यर्थी जो श्रुतलेखक/लेखन सहायक की मांग न कर लिखित परीक्षा हेतु केवल अतिरिक्त समय की मांग करेंगे उनको आयोग कार्यालय में अपने दिव्यांगता प्रमाण पत्र एवं **परिशिष्ट–1** की प्रति आयोग कार्यालय में परीक्षा तिथि से 03 दिन पूर्व तक उपलब्ध करानी होगी।
7. श्रुतलेखक की शैक्षिक योग्यता प्रश्नगत पद की अनिवार्य शैक्षिक योग्यता से एक स्तर कम होगी किंतु किसी भी दशा में हाईस्कूल से न्यून नहीं होगी।
8. दिव्यांग अभ्यर्थी की परीक्षा (लिखित) आयोग द्वारा निर्धारित प्रारूप के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रारूप पर नहीं ली जाएगी और न ही प्रश्नपत्र के प्रारूप में किसी प्रकार का संशोधन किया जाएगा।
9. कम्प्यूटर आधारित टंकण परीक्षाओं में अभ्यर्थी को कम्प्यूटर परीक्षा हेतु स्वयं का केवल की–बोर्ड तथा माउस लाने की अनुमति दी जाएगी।
10. श्रुतलेखक की सुविधायुक्त दिव्यांग अभ्यर्थियों को 20 मिनट प्रति घण्टे का अतिरिक्त समय प्रदान किया जाएगा। एक घण्टे से कम समय हेतु अतिरिक्त समय 20 मिनट प्रति घण्टे के अनुपात में निर्धारित किया जाएगा जो कि 5 मिनट से कम नहीं होगा तथा 5 मिनट के गुणांक में होगा।
11. दिव्यांग अभ्यर्थियों को परीक्षा केन्द्र पर प्रत्येक दशा में भू–तल के निर्धारित परीक्षा–कक्ष में बैठने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।

(डॉ0 शिव कुमार बरनवाल)
सचिव।

Appendix-1

Certificate regarding physical limitation in an examinee to write

This is to certify that, I have examined Mr/Ms/Mrs .... (name of the candidate with disability), a person with ....(nature and percentage of disability aw mentioned in the certificate of disability) S/O/D/O .... a resident of .... (village/ District/State), aged ....years and to state that he/she has physical limitation which hampers his/her writing capabilities owing to his/her disability.

Signature

Chief Medical Officer/Civil Surgeon/Medical Superintendent of a Government health care institution

Name & Designation

Name of Government Hospital/Health Care Centre with Seal

Place -

Date -

Appendix-2

Letter of Undertaking for Using Own Scribe

I .... a Candidate with ....(name of the disability) appearing for the ....(name of the examination) bearing Roll No. .... at .... (name of the centre) in the District ....(name of the State). My qualification is ....

I do hereby State that ....(name of the scribe) will provide the service of scribe/reader for the undersigned for taking the aforesaid examination.

I do hereby undertake that his qualification is .... In case, Subsequently it is found that his qualification is not as declared by the undersigned and is beyond my qualification, I shall forfeit my right to the post and claims relating thereto.

(Signature of the candidate with Disability)

Place -
Date -